

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

दलाराम व अन्य

बनाम

मुख्य उबंधक, भा. कंटे. नि. लि. वर्ग 2

किस्म मुकदमा

नं.

सन्

Gcms No - 2025/253

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/08/25	पत्रावली पेश इसी शर्ती अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली वाले गृहणार्थ स्तर पर बहत हेतु दिनांक 19/08/25 को पेश हो। जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	
19/08/25	पत्रावली पेश इसी शर्ती अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता शर्ती की ओर अध्याय 64 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013 के तहत शर्तीना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत शर्तीना पत्र में व अपनी बहत में शर्ती अधिवक्ता द्वारा शर्तीगण को अधिक मुआवजे की राशि, भूमि अवाप्ति प्रकशन में दो वर्ष की देरी में पारित भवई के मध्य की अवाधि की व्याज राशि, सोलेशियन राशि एवं अन्य परिलाक दिलाये जाने की इत्तदुआ की। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और (राज) प्रशासन, जोधपुर 11	

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जात
	<p> पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 64 (1) "Any Person 'interested who has not accepted the Award may, by written Application to the Collector, require that the matter be referred by the Collector for the determination of the Authority, as the case may be whether his objection be to the measurement of land, the amount of the Compensation, the person to whom it is payable, the rights of Rehabilitation and Resettlement under Chapters V and VI or the apportionment of the Compensation among the person interested: Provided that the collector shall, within a period of thirty days from the date of receipt of Application, make a reference to the appropriate Authority" का स्पष्ट प्रावधान है। </p> <p> अतः मूल पत्रावली को राजस्थान </p>	

अहकाम
हुक्म की
में जारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

AAP-A
Crim-I

लत

मुकाम

कदमा

बनाम

नं.

सन्

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सकार के Notification F.No.1(158)Rev-6/
2015/Part/29 Jaipur, Date-17-08-2016
के क्रम में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वसन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और
परदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की
धारा 64(1) के अनुसरण में LARRA
(Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Authority) Jaipur
को अग्रिम कार्यवाही हेतु अर्पणित
की जाती है। आवेश सुनाया गया।

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)